UPSH010012482026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–522/2026

भूरे आयु लगभग 24 वर्ष पुत्र खण्डसारी, निवासी ग्राम महासिर, थाना सिंधौली, जिला शाहजहाँपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

मुकदमा अपराध संख्या–444/2025,
धारा–64(1), 333 बी0 एन 0 एस 0,
थाना–सिंधौली, जिला–शाहजहॉपुर।

06–03–2026

आवेदक/अभियुक्त भूरे की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–444/2025, धारा–64(1), 333 बी0 एन 0 एस 0, थाना–सिंधौली, जिला–शाहजहॉपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में जिला कारागार में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार खण्डसारी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती रामा देवी द्वारा थाना सिंधौली पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 18–11–2025 को समय लगभग 06.30 बजे भूरे पुत्र खण्डसारी उसके घर पर आया व उसके साथ गलत काम किया। उस समय उसके घर पर अन्य कोई सदस्य नही था। जब उसका देवर मिथलेश पुत्र गजोधर लाल घर पर आये तब शोर सुनकर उसके कमरे की तरफ गये तो भूरे उसे छोड़कर भाग गया। सूचना को आयी हूॅ आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।

Date: 06-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. U.P. 1890)

अभियुक्त/आवेदक की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी है कि वह निर्दोष है। रंजिशन झूॅठा फॅसाया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त न तो वादिनी के घर में जबरदस्ती घुसा तथा न ही उसने वादिनी के साथ कोई गलत काम किया। वादिनी के परिवार वालो ने वादिनी पर दबाव बनाकर अभियुक्त के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट करवा दी, जिसका वास्तविकता से कोई वास्ता व सरोकार नही है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नही है। अभियुक्त/आवेदक दिनांक 21–11–2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता/वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया गया है। पीड़िता द्वारा अपने बयान धारा 180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 व धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में घटना का समर्थन किया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन विदित है कि अभियुक्त पर पीड़िता/वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्संग किये जाने का आक्षेप है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन विलम्ब से पंजीकृत कराया जाना अभियोजन प्रपत्रों से स्पष्ट है। उपरान्त विवेचना अभियुक्त/आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। पीड़िता/वादिनी मुकदमा को पी0 डब्ल्यू0–1 के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया जा चुका है। इन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के दबाव या गवाह को प्रभावित किये जाने का कोई आधार नही रह जाता है तथा अभियुक्त को कारागार में रखने का कोई आचित्य नही है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त/आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। अभियुक्त/आवेदक दिनांकः 21–11–2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

Date: 06-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. U.P. 1890)

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/आवेदक भूरे, द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–522/2026, मुकदमा अपराध संख्या–444/2025, धारा–64(1), 333 बी0 एन 0 एस 0, थाना–सिंधौली, जिला–शाहजहॉपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त/आवेदक द्वारा अंकन **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र एंव समान राशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किये जाने पर निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर रिहा किया जाता है–

1– अभियुक्त/आवेदक दौरान परीक्षण वाद आरोप के बिन्दु पर सुनवाई के समय, बयान के समय, साक्षी के उपस्थित आने तथा अन्य महत्वपूर्ण तिथियों पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा व न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

2– अभियुक्त/आवेदक किसी भी साक्षी को डरायेगा व धमकायेगा नहीं तथा विचारण में सहयोग करेगा।

3– अभियुक्त/आवेदक अग्रिम नियत तिथियों पर अनुपस्थित रहता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र निरस्त होता है तो उसका बन्धपत्र स्वतः जब्त माना जायेगा।

दिनांकः 06-03-2026

(विष्णु कुमार शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।
जे०ओ०कोड-यू०पी०-1890

Date: 06-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. U.P. 1890)